



दुरभाष क्र. 0755-2585404,8871656890 E-Mail-bmcmp.hfa@gmail.com

[illegible]

14. बैंक खाते का विवरण \* :
- (क) बैंक खाता क्रमांक :
- (ख) बैंक का नाम :
- (ग) शाखा का नाम :
- (घ) IFSC कोड :

15. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग का है ? (हां/नहीं)

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करें व जाति का उल्लेख करें) प्रमाण पत्र क्र.  जाति

अपलोड करें

16. क्या आवेदक दिव्यांग है ?(हां/नहीं)

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी, जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र अपलोड करें।)

अपलोड करें

17. क्या अनारक्षित विधवा महिला श्रेणी के अंतर्गत आवास चाहते हैं। (हां/नहीं)

18. परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय \* :

19. हस्ताक्षरित किये गये नियम शर्तों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। \*

अपलोड करें

20. शपथ पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें। (पंजीयन होने के उपरांत मूल कॉपी एच.एफ.ए. कार्यालय में प्रस्तुत करें।) \*

अपलोड करें

21. मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मेरा आवेदन पत्र स्वीकार कर आवासीय इकाई आवंटित होती है तो मैं आवासीय इकाई हेतु निर्धारित किश्त राशि समय सीमा में जमा करा दूंगा/दूंगी। \*



22. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई जानकारी भविष्य में असत्य पाई जाती है, तो मेरा आवंटन निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।



23. मेरे एवं मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से देश के किसी भी भाग में पक्का आवास नहीं है इस आशय का निर्धारित शपथ पत्र संलग्न है।



24. आवासीय इकाई के आवंटन हेतु आवेदन के साथ संलग्न शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है तथा मुझे समस्त शर्तें स्वीकार हैं व आवेदक पर बन्धनकारी है। आवेदक वचन देता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रभावशील निम्न शर्तों तथा म.प्र. शासन के प्रभावशील नियम/अधिनियम का पालन करेंगे।



सेव एज ड्राफ्ट

अथवा

पेमेन्ट गेटवे माध्यम से भुगतान करें

यह एक नमूना आवेदन पत्र (Sample Form) है व आवेदन फार्म भरने हेतु मार्गदर्शन के लिये उपयोग में लाया जाना है।

नोट :- यदि आवेदक तत्काल भुगतान पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं अथवा स्वयं के बैंक खाते से ऑनलाईन बैंकिंग (आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.) के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो सेव एज ड्राफ्ट आप्शन पर क्लिक करें।

### भुगतान माध्यम

पंजीयन राशि रु. 2,80,000 /- एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. क्र. ....

दिनांक ..... बैंक का नाम ..... शाखा का पता .....

ऑनलाईन बैंकिंग रसीद संलग्न है।

अथवा

पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से

## आवेदन फार्म एवं सभी दस्तावेजों की छायाप्रति

- आधार कार्ड
- पेन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
- बैंक पासबुक
- 10 % NEFT/RTGS Slip With UTR No
- पासपोर्ट साईज फोटो
- शपथ पत्र (50 रु स्टॉप पर)
- फार्म मूल कॉपी दस्तावेजों के साथ एच.एफ.ए.कार्यालय में जमा करें।



# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास)

तृतीय तल, आई.एस.बी.टी. भवन, होशंगाबाद रोड, हबीबगंज, भोपाल – 462011

दरभाष क्र. 0755-2585404,8871656890 E-Mail-bmcmp.hfa@gmail.com



## प्रधानमंत्री आवास योजना, LIG (2BHK) हेतु आवासीय इकाई आवंटन की शर्तें

1. आवासीय इकाईयों का आवंटन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के जारी निर्देशानुसार फ्री होल्ड पर पंजीयन के माध्यम से किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र के साथ गंगा नगर परियोजना आवासीय इकाई के विक्रय की निर्धारित राशि का 10 प्रतिशत राशि रु. 2,80,000/- राशि ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से अथवा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से जमा करा कर उसकी रसीद की प्रति आवेदन के साथ ऑनलाईन अपलोड करनी होगी।
3. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसका परीक्षण किया जावेगा व समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर प्रोविजनल आवंटन आदेश जारी किया जावेगा। स्थाई आवंटन आदेश समस्त राशि जमा कराने के उपरांत जारी किया जावेगा। यदि आवेदक के द्वारा बैंक ऋण लिया जाता है तो प्रोविजनल आवंटन आदेश के आधार पर त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पादित होगा व इनमें बैंक की प्रभावशील नियम/शर्तें मान्य होंगी।
4. प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत LIG (2 BHK) आवासों हेतु बैंक ऋण स्वीकृत हो सकेगा व वर्तमान में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश व प्रचलित नियम अनुसार एल.आई.जी. श्रेणी (वार्षिक आय सीमा-3.00 से अधिक से 6.00 लाख तक) में ऋण ब्याज सब्सिडी 6.5 प्रतिशत का लाभ हितग्राही को प्राप्त हो सकेगा, परन्तु यह लाभ बैंक के द्वारा ऋण स्वीकृति के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकेगा। ऋण स्वीकृति के समय जो नियम प्रभावशील होंगे उनका लाभ ही आवेदक को मिल सकेगा व इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
5. योजना अंतर्गत आवंटन प्रक्रिया “प्रथम आओ, प्रथम पाओ” पद्धति अनुसार की जावेगी निर्धारित संख्या से 10 प्रतिशत अधिक आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे व यह 10 प्रतिशत आवेदन प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे। मूल सूची में आवेदन निरस्त होने पर प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत आवेदन को वरीयता अनुसार अवसर दिया जावेगा। यह वरीयता सूची 3 वर्ष तक प्रभावशील होगी व जमा पंजीयन राशि पर कोई ब्याज दर नहीं दिया जावेगा। प्रतीक्षा सूची में पंजीबद्ध आवेदक को आवंटन का अवसर मिलने पर तत्समय प्रचलित आवंटन के नियम/शर्तें/मूल्य आदि मान्य करने होंगे।

प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदन यदि किसी भी समय आवेदक निरस्त कराते है तो 10 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि वापस की जायेगी।

जो आवंटिती समस्त राशि का भुगतान एक मुश्त कर देंगे उनको राशि जमा कर आवासों के चयन हेतु वरीयता सूची Bank Statement की दिनांक के अनुसार वरीयता निर्धारित कर आवास क्रमांक चयन करने का लाभ दिया जावेगा, व आवेदक किशतों के माध्यम से राशि जमा करता है। तब आवासों के चयन हेतु अंतिम किशत जमा कराने के दिनांक के पश्चात् की जावेगी व उन्हीं आवंटितियों को सम्मिलित किया जावेगा जिन्होंने समस्त राशि जमा कर दी है। अंतिम किशत समयावधि में जमा कराने वाले समस्त हितग्राहियों को आवास आवंटन तत्काल किया जावेगी व स्थाई आवंटन आदेश जारी किया जावेगा। इसके पश्चात शेष हितग्राहियों की राशि जमा कराने की स्थिति अनुसार समय-समय पर आवास का चयन किया जावेगी जिसकी सूचना तत्समय दी जावेगी। आवंटन निरस्त किये जाने पर विशेष परिस्थितियों में आवेदक के आवेदन व निर्धारित राशि जमा करने की सहमति के अनुसार उस श्रेणी में आवास उपलब्ध होने पर आवंटन पुनर्जीवित करने का अधिकार महापौर परिषद को होगा।

आवास का चयन उपरांत आवंटित आवास के क्रमांक में परिवर्तन हेतु हितग्राही उभय पक्ष की सहमति के साथ आवेदन कर सकेंगे जिसकी स्वीकृति आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी। स्वीकृति न दिये जाने की स्थिति में को आपत्ति मान्य नहीं होगी।

6. आवेदक को सम्पत्ति का मूल्य विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करना होगा। जिसके संबंध में आवंटन आदेश में भी उल्लेख किया जावेगा।



7. लॉटरी पद्धति से आवंटन के पश्चात् आवेदक को निम्नानुसार राशि ऑनलाईन (कोटक महेन्द्रा बैंक में) जमा कराना होगी।  
राशि जमा कराने की प्रक्रिया पंजीयन राशि जमा कराये जाने के अनुसार ही होगी।

क्र.	विवरण	इकाई के मूल्य का प्रतिशत	इकाई के मूल्य की राशि
1.	आवंटन पत्र जारी होने पर एक माह के अंदर	15%	4,20,000 / -
2.	आवंटन पत्र जारी होने पर चार माह के अंदर	20%	5,60,000 / -
3.	आवंटन पत्र जारी होने पर सात माह के अंदर	25%	7,00,000 / -
4.	आवंटन पत्र जारी होने पर दस माह के अंदर	20%	5,60,000 / -
5.	आधिपत्य के पूर्व	10%	2,80,000 / -

8. उक्त राशि आवेदनकर्ता स्वयं के स्त्रोतों से अथवा पात्रता अनुसार बैंक से ऋण लेकर ऋण जमा कर सकता है। बैंक से ऋण लेने की स्थिति में त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। बैंक ऋण राशि स्वीकृत होने पर आवेदक पूर्ण ऋण राशि जमा करा सकते हैं, जो कि निर्धारित किस्त राशि से अधिक होने पर आगामी किस्तों में समायोजित कर ली जावेगी।
9. आवेदक का पंजीयन होने के पश्चात् लॉटरी पद्धति से आवासीय इकाई आवंटन दिनांक के पूर्व यदि आवेदक लॉटरी पद्धति से आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने से इन्कार करता है अथवा पंजीयन राशि की वापसी की मांग करता है, तो आवेदन के साथ जमा पंजीयन राशि की 10 प्रतिशत राशि राजसात कर शेष 90 प्रतिशत राशि वापस की जावेगी।
10. आवंटन आदेश में अंकित समय सीमा में राशि जमा न करने पर निर्धारित अवधि (Time Schedule) से 60 दिवस तक बकाया राशि 10 प्रतिशत प्रति दिन विलम्ब ब्याज के साथ जमा कराई जा सकेगी। निर्धारित दिनांक से 60 दिवस के बाद भी यदि किस्त जमा नहीं की जाती है तो जमा राशि राजसात कर इकाई का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में आयुक्त नगर निगम विलम्ब अवधि बढ़ा सकेंगे।
11. LIG (2 BHK) का मूल्य राशि रु. 28.00 लाख निर्धारित है तथापि कार्य पूर्ण होने तक लागत वृद्धि होने पर 10 प्रतिशत तक की वृद्धि मूल्य में की जा सकेगी जो कि अंतिम किस्त राशि में समायोजित की जा सकेगी।
12. योजना निर्माण एवं विकास कार्य निर्धारित समयानुसार करने का प्रयास किया जावेगा। परन्तु निर्माण कार्य में विलम्ब होने की स्थिति में आवंटिती को निर्धारित समयावधि में ही राशि जमा कराना होगी। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
13. आवासीय इकाई के संबंध में प्रकोष्ठ अधिनियम के समस्त प्रावधान लागू होंगे तथा प्रकोष्ठों में रखरखाव हेतु निर्धारित शुल्क आवास कब्जे के पश्चात् देना होगा। रहवासी समिति के गठित होने के उपरांत रहवासी समिति के द्वारा निर्धारित रखरखाव/संधारण शुल्क समिति को देय होगा।
14. आवंटिती की मृत्यु होने पर विधिक वारिसों के नाम तत्समय के नियमों के अंतर्गत नियमानुसार नामांतरण हो सकेगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क देय होगा।
15. आवासीय इकाई पूर्णतया आवासीय उपयोग के लिये है। आवासीय इकाई का अन्य उपयोग आवंटन की शर्तों का उल्लंघन समझा जावेगा।
16. आवासीय इकाई में परिवर्तन/परिवर्धन निगम की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
17. किसी भी कारण से आवंटन निरस्त होने पर आवासीय इकाई का रिक्त आधिपत्य शांतिपूर्ण तरीके से आवंटिती द्वारा निगम प्राधिकारी को सुपुर्द करेगा।
18. आवंटिती द्वारा आवासीय इकाई के लिये विद्युत संयोजन, जल संयोजन संबंधित विभाग से स्वयं लेना होगा तथा इस हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
19. आवेदक के पते में परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तित पते की जानकारी नगर पालिक निगम, भोपाल को लिखित में उपलब्ध करानी होगी।
20. आवासीय इकाई आवंटन हेतु जारी विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तें आवंटिती पर बंधनकारक होगी। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त किया जाकर इकाई से बेदखल करने का अधिकार नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
21. आवंटिती को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवास आवंटिती किया जा रहा है भविष्य में परीक्षण उपरान्त दस्तावेज असत्य/कूटचित पाये जाते हैं तो आवास निरस्त कर आवंटिती के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
22. आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
23. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का पालन आवंटिती को करना होगा, साथ ही केन्द्र, राज्य सरकार तथा नगर पालिका निगम, भोपाल के समस्त करों का भुगतान (जी.एस.टी. सहित) आवंटिती को करना होगा।
24. किसी भी प्रकार की वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र नगर पालिक निगम, भोपाल की सीमा के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय रहेगा।
25. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

**उपरोक्त समस्त शर्तें क्रमांक 01 से 25 तक मुझे स्वीकार हैं।**

**नोट—प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।**

**स्थान:— भोपाल**

**आवेदक के हस्ताक्षर**

**दिनांक:— .....**

50 रु के नॉन  
ज्युडिशियल स्टॉम्प पर नोटरी किया हुआ

प्रधान मंत्री आवास योजना ( आलम नगर परियोजना)अंतर्गत LIG (2 BHK) आवासीय इकाई  
प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र

1. मैं शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ:-

- (i) नाम : .....
- (ii) पिता/पति का नाम : .....
- (iii) आयु : .....
- (iv) पता : .....
- (v) आधार कार्ड नं. : .....
- (vi) जाति : .....
- (vii) व्यवसाय : .....
- (viii) परिवार के सदस्यों की समस्त स्त्रोंतों से वार्षिक आय : .....
- (ix) बैंक खाते का विवरण : .....
- (क) बैंक खाता क्रमांक : .....
- (ख) बैंक का नाम : .....
- (ग) शाखा का नाम : .....
- (घ) IFSC कोड : .....

2. यह कि मैंने आवंटन की शर्तों को भली भांति समझा लिया है जो कि पूर्णतः स्वीकार है।

3. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। भविष्य में जानकारी गलत पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

दिनांक : .....

शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....पिता/ पति श्री .....

सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी सत्य है तथा इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, जो आज दिनांक :.....को सत्यापित किया गया।

स्थान:- भोपाल

दिनांक:- .....

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर